

संशोधित आदेश

निदेशालय के आदेश क्रमांक-नर्सिंग/एनआरएचएम/जीएनएम/94 दिनांक 28.2.09 के द्वारा एनआरएचएम योजना के तहत व्यक्तिगत अनुबन्ध के आधार पर रखे जाने वाले जीएनएम की वयन सूची जारी की जा कर सूची में नवीन अभ्यर्थियों के रूप में स्थान बनाने वाले अभ्यर्थियों का पदस्थापन स्थान का आवंटन निदेशालय के पत्रांक-नर्सिंग/जीएनएम/एनआरएचएम/09/95-99 दिनांक-28.2.09 एवं पत्रांक-नर्सिंग/जीएनएम/एनआरएचएम/09/102 दिनांक-2.3.09 के द्वारा किया गया था, जिसमें से निम्नांकित अभ्यर्थियों के पदस्थापन स्थान में निम्न प्रकार से आंशिक संशोधन किया जाता है :-

क्र. सं.	नाम अभ्यर्थी	स्थान आवंटन सूची का क्रमांक	आवंटित स्थान	नवीन आवंटित स्थान
1.	अनवर अहमद / हुजूर अहमद	420	पीएमओ, बारां	सीएमएचओ, टोंक
2.	मंजू जोशी / गिराज प्रसाद	595	सीएमएचओ, बांसवाडा	सीएमएचओ, जयपुर-प्रथम
3.	सत्येन्द्र पाल सिंह / दीगेन्द्र सिंह	351	पीएमओ, भरतपुर	सीएमएचओ, भरतपुर
4.	आरिफ खान / नवाब खान	63	सीएमएचओ, बीकानेर	सीएमएचओ, झुन्झुनू
5.	मुकेश देवी / जितेन्द्र कुमार	123	पीएमओ, अलवर	सीएमएचओ, अलवर
6.	नईम अख्तर / सलीमुद्दीन	549	सीएमएचओ, बारां	सीएमएचओ, टोंक
7.	हरिश चन्द्र यादव / रामसिंह यादव	46	सीएमएचओ, भरतपुर	सीएमएचओ, अलवर
8.	सुरेन्द्र कुमार शर्मा / सत्य नारायण जांगिड	59	सीएमएचओ, बून्दी	सीएमएचओ, जयपुर-प्रथम
9.	संतोष कुमारी सांखला / नाथू लाल सांखला	670	पीएमओ, सिरोही	सीएमएचओ, जयपुर-द्वितीय
10.	उमेश सैनी / मनोहर लाल	108	सीएमएचओ, राजसमन्द	सीएमएचओ, सीकर
11.	ओम प्रकाश कुम्हार / पोखर मल कुम्हार	333	सीएमएचओ, जालौर	सीएमएचओ, जयपुर-प्रथम

शेष शर्तें एवं नियम यथावत लागू रहेंगे। उपस्थिति प्रस्तुत किये जाने की अंतिम तिथि भी दिनांक 8.6.09 ही रहेगी।

27

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर।

दिनांक:- 01/6/09

क्रमांक: नर्सिंग/एनआरएचएम/09/ 171

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर को उनके पत्र क्रमांक- निस/मंचिस्वा/09/1206 दिनांक 19.5.09 के संदर्भ में।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों को प्रेषित कर लेख है कि उक्त अभ्यर्थियों से संबंधित मूल आवेदन पत्र नवीन आवंटित स्थान पर विशेष वाहक के साथ तत्काल भिजवाने / प्राप्त करने की व्यवस्था सुनिश्चित कर, निर्धारित तिथि तक कार्यग्रहण करावें।
4. संबंधित अभ्यर्थी को पालनार्थ
5. आदेश पत्रावली।

3-चारु, स्वर 29/9

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर।